UPJS100012442024

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झाँसी।

मुकदमा संख्या- 1078/ 2024

नसीम अजमेरी बनाम राजेशचन्द्र आदि

दिनांक- 23. 07. 2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित। उसके द्वारा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी विगत कई नियत तिथियों से न्यायालय में अनुपस्थित है। पत्रावली बयान अन्तर्गत धारा 225 बी०एन०एस०एस० के साक्ष्य हेतु नियत चल रही है, किन्तु परिवादी द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 225 बी०एन०एस०एस० के तहत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रथम दृष्टया किसी भी विपक्षी को विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। परिवादी की अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को अपने परिवाद में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतएव मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत प्रस्तुत परिवाद बल के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद बल अभाव में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(सृष्टि शुक्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, जनपद- झांसी।
जे०ओ० कोड यू०पी० 4682

Mohd. Anas
Steno